

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला


विषय प्रमाण..... बनाम ..... महाश्री जे.

क्रमांक..... मुकदमा नं. F.T-55/2019 सन्

2019

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
07/19	<p>वकील जर्बॉ श्री दिनेश सेनी ने हाजिर अदालत होकर प्र.पत्र टी.आई. पेश किया। जर्बॉना पत्र दर्ज रजिस्ट्र किया जावे। जर्बॉना पत्र अल्बार्ड निर्बंधाता पर अधिभूता जर्बॉ की एक पक्षीय कहल सुनी गई। उक्त उच्चम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अप्रक्षीय हानि का पाया जाने पर अगामी तारीख पेशी तक अल्बार्ड निर्बंधाता इस आशय की जारी की जाती है कि अजर्बॉगण वायवस्त आराजी ख. नं. 352/1, 352/2 एका 0.08 हे. तन ग्राम जाजीद तह. खण्डेला का बिना विधिक निष्पादन एवं बिना विधिक आदेश के सम्पत्तिन योग्य कार्य, निर्माण आदि नहीं करे। अजर्बॉगण की तलवी जरिये समन की जाकर पत्रावली दिनांक 19/08/19 को पेश हो। जर्बॉ 0-39 R. 03 CPC की पालना करे।</p> <p>19/08/19</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी वारे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आई.सू. दिनांक-17/09/19 को पेश हो। उतिवासी सं.1 की ओर से श्री सुभाष शर्मा एड. व उतिवासी सं.2 की ओर श्री शाकभत एड. ने वकालतनामा पेश किया जो शापिल पत्रावली किया गया।</p>	<p>1307-1308 19-7-19</p>

01/10  
 01/19  
 इलाहाबादी येशी में पर फासली आज में ही  
 वकुलाम उमाप्रदा उपस्थित। आ. पत्र टी. अर्द्ध  
 से संबंधित मूल वादपत्र में आज प्राथमिक  
 डिफेंस जारी की जा चुकी है। पक्षकों के  
 मूल अधिकाओं का निर्धारण मूल वादपत्र में  
 किया जाता है। अतः आ. पत्र टी. अर्द्ध  
 इसी स्तर पर जारी की जाती है। फासली  
 फेलत अमात लेक नम्बर से कम हो तथा  
 वाद तन्मूल दखिल दफ्तर है। निर्णय को  
 न्यायालय में सुनाया गया।



*Jr*  
 सहायक क्लर्क  
 (फाट ट्रेक) खण्डेला